**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3125**

**जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है**

**विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की मांग**

**3125. श्री आदित्य यादवः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की 874 मिलियन टन मांग को पूरा करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

**(क) :** वित्तीय वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान, विद्युत क्षेत्र को 764.56 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला प्रेषण किया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कुल कोयला खपत 757.70 मिलियन टन (अनंतिम) रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार 11.03.2025 तक 53.61 मिलियन टन है, जो 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 20 दिनों के लिए पर्याप्त है।

**(ख) और (ग) :** विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करते हैं।

इसके अलावा, एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं, जो कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करती है। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रित के रूप में सहयोजित किया जाता है।

*****